उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-46/2020/527/92-2-2020-59(जांच)/2016

लखनऊ :: दिनांक:: 14 फरवरी, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-झांसी विकास खण्ड-मौंठ में तिगरा सकनरी सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य में टी0ए0सी0 जांच में परिलक्षित अनियमितताओं एवं शासकीय क्षति के लिये प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-107/2017/920/92-2-17-59जांच/2016, दिनांक 11.07.2017 श्री ए0के0 गुप्ता, तत्का0 सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-झांसी सम्प्रति ललितपुर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- इसी मध्य अपचारी अधिकारी श्री ए0के0 गुप्ता, तत्का0 सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभि0 विभाग, प्रखण्ड-झांसी सम्प्रति सेवानिवृत्त के पत्र दिनांक 12.12.2017 द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित किये जाने हेतु किये गये अनुरोध के दृष्टितगत सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-02/2018/127/92-2-18-59जांच/2016, दिनांक 17.01.2018 द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुए अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद के स्थान पर अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किए जाने तथा अपचारी अधिकारी श्री ए0के0 गुप्ता, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड बांदा को ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1 के पत्र संख्या-2434/92-1-2017-75(अधि0)/2015, दिनांक 12.10.2017 द्वारा दी गयी अनिवार्य सेवानिवृत्त के द्रष्टिगत संगत नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अन्तर्गत परिवर्तित किया गया। जांच अधिकारी के पत्र दिनांक 28.06.2018 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी ने अपचारी अधिकारी श्री ए0के0 गुप्ता के विरूद्ध अधिरोपित कुल-04 आरोपों को अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये बचाव उत्तर व संलग्न साक्ष्य स्वरूप अभिलेखों के सापेक्ष जांच आख्या की विवेचना में प्रमाणित नहीं पाया गया।

3- अपचारी अधिकारी श्री ए0के0 गुप्ता के विरूद्ध अधिरोपित कुल-04 आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना तथा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

अत: शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-107/2017/920/92-2-17-59जांच/2016, दिनांक 11.07.2017 द्वारा श्री ए0के0 गुप्ता, तत्का0 सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-झांसी के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही जिसे शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-02/2018/127/92-2-18-59जांच/2016, दिनांक 17.01.2018 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अन्तर्गत परिवर्तित किया गया को दण्ड रहित समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-46/2020/527(1)/92-2-2020 तददिनांक।</u>

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर।
3- श्री ए0के0 गुप्ता, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड झांसी सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in